

फॉर्म नं. 26
फर्द अहकाम

(नियम 26)

स्थान: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां,
जिला-बून्दी (राज.)

दिनांक: 28/11/21

संख्या: 25/70 पत्र/21
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

5.2.21) पाव पत्र/ प्राधान्य पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA Act द्वारा वकील श्री शंकर लाल शर्मा पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली वर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्राथीगण को सुनवाई हेतु राजब किया जाकर दि. 27.11.21 को पेश हो।

27/11/21 पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकराम उपस्थित है। बिम्बन की पत्रावली अधिकारी महोदय वीरे/ अवकाश/अ-ध रा. न. म. में तदरीफ रखते है। पत्रावली दि. 28/11/21 को पेश हो।

28/11/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रवीण उपस्थित है। प्रत्याधीगण के नोटिस बाड तामील लेलान ही तहसीलदार नैनवां की जवाब पत्र हेतु पत्र लिखा जाकर पत्रावली दि. 30.11.21 को पेश हो।

प्रशासन गांवों के
अभियान ?
नोटिस

28/11/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कंप कोर्ट नैदिनांक 26/11/21 को पेश हो।

28/11/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कंप कोर्ट के में आज पेश हुई। पत्रावली उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां की जवाब रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार शमकिशन को बचपन में कान्हा के नाम बोलता ग्राम से जाना जाता है। ग्रामवासियान द्वारा बताया कि शमकिशन और कान्हा दोनों एक ही व्यक्ति है। मुताबिक मौका पचा रिपोर्ट तथा उपस्थित व्यक्तियों

[Signature]

[Signature]
28/11/21
30



उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहमदाबाद हुकम की में जारी
	<p>की जवाही के आचार पर रामकिशन उर्फ कान्हा पुत्र शुरालाल जाति माली की ग्राम देई के खाता सं. 993 व खाता सं. 995 में कान्हा पुत्र शुरा के स्थान पर रामकिशन पुत्र शुरालाल किया जाना अर्चित होगा। हमने प्रार्थना पत्र, आपस-पत्र प्रस्तुत रिपोर्ट दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रामकिशन एवं कान्हा एक ही व्यक्ति हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम देई परिवार मण्डल देई तहसील नैनवां के भूमि खाता संख्या तथा 995 पुराना 963 जमाबंदी संवत् 2076-79 तथा खाता सं. तथा 993 पुराना 962 जमाबंदी संवत् 2076-79 में दर्ज "खाता पुत्र शुरा" के स्थान पर "खाता उर्फ रामकिशन पुत्र शुरा" संशोधन राजस्व रिपोर्ट में किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तन्मूलन दाखिल दफ्तर है।</p>	

↓
उपखण्ड अधिकारी
 नैनवां (बुन्दी)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज